

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
क्रमांक:- एफ. 3(ख)/च.वे. 90/अलेसे-11/2022-23/215
आदेश संख्या 19/2022-23

दिनांक:- 25/05/2022

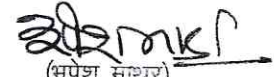
राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ6/ 2/एफ.डी/रुल्स/98 दिनांक 17.02.1998 के अनुसरण में स्व. श्री महेश कुमार ओझा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 9 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500-175-9000) में स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं./ लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	प्रथम चयनित वेतनमान तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1*	महेश कुमार ओझा (सेवानिवृत्त) (2384)	234/90	13.09.1993 मध्यान्ह पर्याप्त	14.09.2002	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय

*स्व. श्री महेश कुमार ओझा, (सेवानिवृत्त) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के गत सात वर्ष में से सात वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर अथवा आगामी वर्षों में प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1(20)युप-2/92 दिनांक 23.04.1994 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 7(1)(डीओपी)/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.1998 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें -

- 1 पुनरीक्षित वेतनमान 1993 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
 - 2 पूर्व में प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृति नहीं की गई है।
 - 3 कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित प्रथम चयनित वेतनमान देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
 - 4 इनके विरुद्ध फौजदारी/दिवानीय जांच संबंधित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
 - 5 गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।
- इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुरितका में आवश्यक रूप से की जावे।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ. 3(ख)/च.वे. 90/अलेसे-11/2022-23/215

दिनांक:- 25/05/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1/एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11
4. निजी सचिव, निदेशक
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट) हेतु।
6. निजी पत्रावली/संक्षिप्त पत्रावली।


(श्री. एस. एस. दंडिया)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- प.3(ख)एसीपी/अलेसे-11/2022-23/ 216

दिनांक:- 25/05/2022

आदेश संख्या 20/2022-23

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.09.2008, अधिसूचना क्रमांक एफ.11(7)एफ.डी./रूल्स/पार्ट-1/2008 दिनांक 06.10.2008 एवं ज्ञापन क्रमांक प.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-बैंड-2 (9300-34800) ग्रेड-पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैंच नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	महेश कुमार ओझा (सेवानिवृत्त) (2384)	234/90	13.09.1993 मध्याह्न पश्चात्	14.09.2011	9 वर्ष की एपीएआर के आधार पर स्वीकृत

*उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार अथवा आगामी वर्षों में प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त अधिसूचना दिनांक 12.09.2008 के नियम 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
 2. पूर्व में द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
 3. कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
 4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
 5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
- इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- प.3(ख)एसीपी/अलेसे-11/2022/ 216

दिनांक:- 25/05/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ-एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1/एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट) हेतु।
6. निजी पत्रावली/रहित पत्रावली।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

क्रमांक:- प.3(ख)एसीपी/अलेसे-II/2022-23 /217

दिनांक:- 25/05/2022

आदेश संख्या 21 /2022-23

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 एवं स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक/कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ.14(88)वित्त(नियम)2008-I दिनांक 01.06.2017 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	महेश कुमार ओझा (सेवानिवृत्त) (2384)	234/90	13.09.1993 मध्याह्न पश्चात्	14.09.2020	9 वर्ष की एपीएआर के आधार पर स्वीकृत

*उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।
उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों को वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14(2) एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

1. पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
 2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
 3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
 4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
 5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
- इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(पूजा माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- प.3(ख)एसीपी/अलेसे-II/2022-23 /217

दिनांक:- 25/05/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)